भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 818

जिसका उत्तर 24.07.2025 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाएँ

†818. श्री मनीष जायसवाल:

श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव:

श्री सुधीर गुप्ता:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के तमाम प्रयासों के बावजूद देश में सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली जान-माल की हानि के आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान कुल कितनी मौतें हुईं;

(ग) क्या एनएचएआई द्वारा अपने पोर्टल पर और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए दुर्घटना संबंधी आंकड़े मेल नहीं खाते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार के पास देश में सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों को रोकने के लिए राष्ट्रीय सड़क यातायात चोट निगरानी प्रणाली विकसित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों पर दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए राज्य स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले आंकड़े एकत्र करने हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर "भारत में सड़क दुर्घटनाओं" पर रिपोर्ट प्रकाशित करती है। यह रिपोर्ट वर्ष 2022 तक के लिए प्रकाशित की गई है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, सड़क दुर्घटनाएँ बहु-कारणीय घटनाएँ हैं और विभिन्न कारकों के परस्पर प्रभाव का परिणाम हैं। इन्हें मोटे तौर पर (i) मानवीय भूल, (ii) सड़क की स्थिति/पर्यावरण और (iii) वाहनों की स्थिति में वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, कैलेंडर वर्ष 2019 से 2022 तक देश में सभी श्रेणियों की सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों (एन ई सहित) पर सड़क दुर्घटनाओं में हुई कुल मौतों की संख्या नीचे दी गई तालिका में दी गई है: -

वर्ष	सड़क दुर्घटना में मरने वालों की संख्या	
	सभी श्रेणियों की सड़कों पर	एन ई सहित राष्ट्रीय राजमार्गों पर
2019	1,58,984	53,872
2020*	1,38,383	50,251
2021*	1,53,972	56,007
2022	1,68,491	61,038

* - कोविड प्रभावित वर्ष।

(ग) और (घ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए परियोजना डेटा को केंद्रीकृत करने और परियोजना प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने हेतु डेटा लेक पोर्टल विकसित किया गया है। यह राजमार्ग परियोजनाओं की वास्तविक समय निगरानी और प्रबंधन हेतु एक एकीकृत मंच के रूप में कार्य करता है, जिससे हितधारकों को प्रगति पर नज़र रखने, संभावित समस्याओं की पहचान करने और सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है।

डेटा लेक पोर्टल को इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (ई-डीएआर) एप्लिकेशन के साथ एकीकृत किया गया है ताकि ई-डीएआर से दुर्घटना डेटा प्राप्त किया जा सके और उसका उपयोग किया जा सके। डेटा लेक पोर्टल पर उपलब्ध दुर्घटना डेटा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस द्वारा ई-डीएआर प्रणाली में दर्ज की गई जानकारी पर आधारित है।

(ड.) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 136(क) राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों, सड़कों या राज्य के भीतर किसी भी शहर में, जिसकी जनसंख्या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सीमा तक हो, सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन का प्रावधान करती है। तदनुसार, सरकार ने देश में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के अंतर्गत आने वाले शहरों और दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और महत्वपूर्ण जंक्शनों पर उच्च जोखिम और उच्च घनत्व वाले गलियारों पर सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन के लिए अगस्त 2021 में नियम 167क प्रकाशित किया है।

व्यय विभाग ने 3,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ पूंजीगत निवेश 2025-26 (एसएएससीआई 2025-26) के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत सड़क सुरक्षा के इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को प्रोत्साहन देने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं ।

(च) इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (ई-डीएआर) (तत्कालीन आईआरएडी - एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस) को देश भर में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों की रिपोर्टिंग, प्रबंधन और विश्लेषण के लिए एक केंद्रीय संग्रहक के रूप में विकसित किया गया है, जिसे अन्य प्रासंगिक आईटी अनुप्रयोगों जैसे वाहन, सारथी , सीसीटीएनएस , पीएम गति शक्ति आदि के साथ एकीकृत किया गया है। यह राज्य राजमार्गों सहित सभी श्रेणियों की सड़कों को कवर करता है। यह नीति निर्माण और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायता के लिए डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि प्रदान करता है । यह अधिकारियों को विश्लेषण के माध्यम से दुर्घटना-ग्रस्त स्थानों की पहचान करने, निवारक उपायों को लागू करने, की गई कार्रवाई की निगरानी करने और सड़क दुर्घटना दावों के कुशल प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को देश भर में सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए ई-डीएआर डेटा का उपयोग करने की सलाह दी गई है ।

*****